

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::अधिरूचना::

संख्या-15/बि0स0से0-25-02/2013 सा0प्र0...557/ बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 3, 2008) की धारा-19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियमावली, 2008 में संशोधन करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 11 के आलोक में निम्नलिखित विनियमावली बनायी जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (i) यह विनियमावली बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय विभाग में एवं संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगी।
(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. संशोधन:-

- (i) बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियमावली, 2008 के नियम-4 में निम्नांकित विषयों को जोड़ा जाता है:-

xxi) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011

xxii) बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011

xxiii) कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं

xxiv) भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से संबंधित निगरानी एवं विभागीय कार्यवाही।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेश राम)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-15/बि0स0से0-25-02/2013 सा0प्र0...557/पटना-15, दिनांक-13.1.2015
प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु। अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग की उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-15/बि0स0से0-25-02/2013 सा0प्र0...557/पटना-15, दिनांक-13.1.2015
प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/ मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव